रजिस्ट्री सं० डी० एल०- 33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 472] नई दिल्ली, बुधवार, अक्तूबर 4, 2006/आश्विन 12, 1928
No. 472] NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 4, 2006/ASVINA 12, 1928

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 अक्तूबर, 2006

सा.का.नि. 617(अ).— स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 के नियम 8 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार, एतदद्वारा, पहली अक्तूबर, 2006 को आरंभ होने वाले और 30 सितम्बर, 2007 को समाप्त होने वाले अफीम फसल वर्ष के दौरान केन्द्रीय सरकार की ओर से अफीम पोस्त की खेती के लिए लाइसेंसों की मंजूरी हेतु नीचे विनिर्दिष्ट सामान्य शर्तें अधिसूचित करती है:-

1. खेती करने के स्थान

किसी भी ऐसे भूखंड में पोस्त की खेती के लिए लाइसेंस दिया जा सकता है जिसे केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में अधिसूचित किया जाए।

2. कृषि हेतु पात्रता

इस अधिसूचना के खण्ड 3 और 7 के अध्यधीन निम्नलिखित पोस्त की खेती के लाइसेंस हेतु पात्र होंगे -

(i) वे किसान जिन्होंने फसल वर्ष 2005-06 के दौरान अफीम पोस्त की खेती की थी और मध्यप्रदेश तथा राजस्थान राज्यों मे औसतन अफीम की उपज कम से कम 56 किलोग्राम प्रति हैक्टेयर तथा उत्तर प्रदेश में 49 किलोग्राम प्रति हैक्टेयर की औसत अफीम उपज सौंपी है;

(ii) किसान जिन्होंने इस संबंध में प्रावधानों के अनुसार केन्द्रीय स्वापक ब्यूरो की देख-रेख में फसल वर्ष 2005-2006 के दौरान अपनी सम्पूर्ण पोस्त की फसल को नष्ट किया हो लेकिन जिन्होंने इसी तरह वर्ष 2004-05 के दौरान भी अपनी संपूर्ण पोस्त फसल को नष्ट नहीं की हो।

(iii) किसान जिनकी लाइसेंस मंजूर न करने के खिलाफ अपील को फसल वर्ष 2005-2006 में निपटान की अंतिम तारीख के बाद अनुमति दे दी गई हो;

(iv) किसान जिन्होंने फसल वर्ष 2003-04 अथवा किसी परवर्ती वर्ष में पोस्त की खेती की हो और जो अनुवर्ती वर्ष में लाइसेंस के लिए पात्र थे, किन्तु किसी कारणवश स्वेच्छा से लाइसेंस प्राप्त न किया हो अथवा,

जिन्होंने अनुवर्ती फसल वर्ष मे लाइसेंस प्राप्त करने के बाद किसी कारणवश अफीम पोस्त की खेती वास्तव में न की हो ।

(V) अनुसंधान प्रयोजनो के लिए विश्व विद्यालय एवं अनुसंधान संस्थान ।

3. **लाइसेंस की शर्ते**

किसी भी किसान को तब तक लाइसेंस मंजूर नहीं किया जाएगा जब तक वह निम्नलिखित शर्तो को पूरा न करता हो/करती हो :-

(i) उसने फसल वर्ष 2005-2006 के दौरान पोस्त की खेती के लिए लाइसेंसशुदा वास्तविक क्षेत्र से अधिक क्षेत्र में खेती न की हो,

(ii) उसने कभी भी अफीम पोस्त की अवैध खेती न की हो तथा स्वापक औषधि तथा मनःप्रभावी द्रव्य पदार्थ अधिनियम, 1985 और उसके अंतर्गत बनाये गए नियमों के अंतर्गत उस पर किसी अपराध के लिए किसी सक्षम न्यायालय में आरोप नहीं लगाया गया हो,

(iii) फसल वर्ष 2005-2006 के दौरान उसने केन्द्रीय नार्कोटिक्स ब्यूरो/नार्कोटिक्स आयुक्त द्वारा किसानों को जारी किन्हीं विभागीय अनुदेशों का उल्लंघन नही किया हो ।

(iv) उसने वर्ष 2005-06 के दौरान मिलावटी अफीम अथवा सरकारी अफीम फैक्ट्री नीमच/गाजीपुर द्वारा घटिया के रुप में वर्गीकृत अफीम नहीं सौंपी हो ।

(v) उसने फसल वर्ष 2005-06 के दौरान ऐसी अफीम नहीं सौंपी हो जिसका गाढ़ापन 55 डिग्री से कम पाया गया हो ।

4. **अधिकतम क्षेत्र**

(i) सभी पात्र किसानो को 10 आरी के लिए लाइसेंस दिया जाएगा लेकिन किसान लाइसेंसशुदा क्षेत्र से कम किसी भी क्षेत्र में खेती कर सकते है।

(ii) कोई भी किसान अधिकतम दो भूखडों से अधिक में अफीम पोस्त की बुआई नहीं सकता है।

(iii) अफीम पोस्त की खेती करने वाले राज्यों में अनुसंधान के प्रयोजनों के लिए विश्वविद्यालय एवं अनुसंधान संस्थानों को 10 आरी से अधिक क्षेत्र खेती की अनुमति दे सकते है।

5. **पूर्व चेतावनी**

(i) अनुवर्ती फसल वर्ष अर्थात 2007-2008 मे अफीम लाइसेंस प्राप्त करने के लिए पात्र बनने हेतु फसल वर्ष 2006-2007 के दौरान मध्य प्रदेश और राजस्थान में प्रति हैक्टेयर 58 किलोग्राम और उत्तर प्रदेश में प्रति हेक्टेयर 52 किलोग्राम की न्यूनतम अर्हक उपज अवश्य सौंपी जानी चाहिए ।

(ii) ऐसे कृषक जिन्होने 2005-06 के दौरान पोस्त की फसल नष्ट की हो, वे फसल वर्ष 2007-08 में लाइसेंस के पात्र उस स्थिति में नही होगे, यदि उन्होंने वर्ष 2006-07 मे भी अपनी फसल को पूरी तरह से उखड़वा दिया हो ।

(iii) ऐसे किसान अगले फसल वर्ष 2007-08 में लाइसेंस के पात्र नही होंगे जिनकी फसल वर्ष 2006-07 की अफीम मे पानी की मिलावट पाई गई हो तथा उसका गाढ़ापन 55 डिग्री से कम पाया गया हो।

(iv) ऐसे किसान जिनकी फसल वर्ष 2006-07 की अफीम मिलावटी पाई जाती है तथा जिसे राजकीय अफीम एवं क्षारोद कार्यशाला, नीमच तथा गाजीपुर द्वारा घटिया के रुप में वर्गीकृत किया गया हो, वे अगले फसल वर्ष 2007-08 मे लाइसेंस के पात्र नहीं होंगे ।

6. **माफीयोग्य सीमा**

यदि खेती किया गया वास्तविक क्षेत्र लाइसेंसशुदा क्षेत्र से 5% तक अधिक है तो ऐसा अधिक क्षेत्र क्षम्य हो सकता है।

7. विविध:-

(i) ये सामान्य लाइसेंसिंग शर्तें नार्कोटिक्स आयुक्त/नार्कोटिक्स उपायुक्त के किसी भी लाइसेंस को जारी करने/उसे रोकने के अधिकार को उस स्थिति में कोई क्षति नहीं पहुंचाती जब कभी स्वापक औषधि तथा मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 के उपबंधों और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार ऐसा करना ठीक समझा जाए।

(ii) लाइसेंस इस शर्त पर दिया जाएगा कि किसी भी खेत को सरकार द्वारा अथवा सरकार द्वारा विशिष्ट संस्था अथवा एजेंसी के साथ सहयोग करके किये जाने वाले संयुक्त वैध अफीम पोस्त सर्वेक्षण के प्रयोजनार्थ अधिगृहित किया जा सकता है जिस किसान के खेतों को सं.व.अ.पो.स. के लिए चुना जाएगा उसका अगले वर्ष लाइसेंस मंजूर करने पर विचार किया जाएगा बशर्तें उसने अगले वर्ष के दौरान निर्धारित उपज प्रस्तुत की हो, यदि वह अन्यथा पात्र हो। संयुक्त वैध अफीम पोस्त सर्वेक्षण हेतु चुने गए क्षेत्र को उपज की गणना करते समय लेखे में नहीं लिया जाएगा।

(iii) लाइसेंस इस अतिरिक्त शर्त के अध्यधीन होगा कि अफीम को निकाले बिना पोस्त भूसी प्राप्त करने के लिए किसी भी खेत को चुना जा सकता है। जिन किसानों के खेत ऐसे उपयोग के लिए चुने जाएंगे वे अन्यथा पात्र होने पर अगले फसल वर्ष के लिए लाइसेंस के पात्र होंगे।

(iv) किसी किसान द्वारा सौंपी गई अफीम की मात्रा की गणना राजकीय अफीम एवं क्षारोद कार्यशाला, नीमच तथा गाजीपुर में किए गए विश्लेषणों के आधार पर 70 डिग्री गाढ़ेपन पर की जाएगी।

(v) ऊपर वर्णित किसी भी बात के होते हुए भी, ऐसे किसी भी गांव में अफीम की खेती की अनुमति नहीं दी जाएगी जहां पात्र किसानों की संख्या 5 अथवा इससे कम हो। तथापि, ऐसे गांवों के संबंध में, जहां कहीं संभव हो, प्रभावित किसानों को उन पड़ोसी गांवों में स्थानांतरित होने का विकल्प दिया जाएगा जहां अफीम की खेती करने की अनुमति है।

[फा. सं. 616/1/2006-स्वापक नियंत्रण-I]

रोहताश सिंह, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th October, 2006

G.S.R.617(E).— In pursuance of Rule 8 of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Rules, 1985, the Central Government hereby notifies the general conditions for grant of licence specified below for cultivation of opium poppy on account of the Central Government during the Opium Crop Year commencing on the 1st day of October, 2006 and ending with the 30th day of September, 2007.

1. Place of Cultivation

Opium poppy cultivation may be licenced in any tract as may be notified in this behalf by the Central Government.

2. Eligibility for Cultivation

Subject to clauses 3 and 7 of this notification, the following shall be eligible for a licence to cultivate opium poppy:

(i) Cultivators who had cultivated opium poppy during the crop year 2005-06 and tendered an average yield of opium of not less than 56 kg/hectare in the States of Madhya Pradesh and Rajasthan and an average yield of opium of not less than 49 kg/hectare in Uttar Pradesh.
(ii) Cultivators who ploughed back their entire poppy cultivated during the crop year 2005-06 under the supervision of the Central Bureau of Narcotics in accordance with the provisions in this regard but have not similarly ploughed back their entire poppy crop during 2004-05 also.
(iii) Cultivators whose appeal against refusal of licence has been allowed after the last date of settlement in the crop year 2005-06.
(iv) Cultivators who cultivated opium poppy in the crop year 2003-04 or during any subsequent crop year and were eligible for a licence in the following crop year, but did not voluntarily obtain the licence for any reason or who after having obtained licence for the following crop year, did not actually cultivate opium poppy due to any reason.
(v) Universities and Research Institutes for research purposes.

3. Conditions of Licence

No cultivator shall be granted licence unless he/she satisfies that.

(i) He/she did not, in the course of actual cultivation, exceed the area licenced for poppy cultivation during the crop year 2005-06.
(ii) He/she did not at any time resort to illicit cultivation of opium poppy and was not charged in any competent court for any offence under the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 and the Rules made there under.
(iii) He/she did not during the crop year 2005-06 violate any departmental instructions issued by the Central Bureau of Narcotics/Narcotics Commissioner to the cultivators.
(iv) He/she did not tender during 2005-06 adulterated opium or opium classified as inferior by the Government Opium Factories, Neemuch/ Ghazipur.
(v) He/she did not tender during the crop year 2005-06 opium which has been found to be of a consistency lower than 55 degrees.

4. Maximum Area

(i) All eligible cultivators will be issued licence for 10 ares but they can cultivate in any area less than the licenced area.
(ii) A cultivator can sow opium poppy in not more than two plots.
(iii) Universities and Research Institutes cultivating opium poppy for research can be licenced to grow opium in an area exceeding 10 ares.

5. Forewarning

(i) A Minimum Qualifying Yield of 58 kg/hectare in Madhya Pradesh and Rajasthan and 52 kg/hectare in Uttar Pradesh must be tendered during the crop year 2006-07 to become eligible for a licence to cultivate opium poppy in the following year i.e. 2007-08.
(ii) Cultivators who had fully ploughed back their entire poppy during crop year 2005-06 would not be entitled for licence in the crop year 2007-08, if they also uproot their crop fully in the crop year 2006-07.
(iii) Cultivators, whose opium for the crop year 2006-07 is found to be 'water mixed' and of consistency lower than 55 degrees will not be eligible for a licence in the next crop year 2007-08.
(iv) Cultivators whose opium for the crop year 2006-07 is found to be adulterated and classified as 'inferior" by the Govt. Opium & Alkaloid Works, Neemuch or Ghazipur will not be eligible for licence in the next crop year 2007-08.

6. **Condonable limit**

If the area actually cultivated is up to 5% in excess of the licenced area such excess cultivation may be condoned.

7. **Miscellaneous**

(i) These General Licencing Conditions are without prejudice to the right of the Narcotics Commissioner/Deputy Narcotics Commissioner to issue/withhold a licence whenever it is deemed proper so to do in accordance with the provisions of the Narcotic Drugs & Psychotropic Substances Act, 1985 and the Rules made there under.

(ii) The licence will be subject to the condition that any field may be taken over for Joint Licit Opium Poppy Survey (JLOPS) that may be conducted by the Government directly or in collaboration with any specialized Institution or Agency. The cultivator whose field is selected for Joint Licit Opium Poppy Survey shall be considered for licence for the next year if he has tendered the stipulated MQY and is otherwise eligible. The area selected for JLOPS experiments will not be taken into account while calculating yield.

(iii) The licence shall be subject to the further condition that any field may be selected for obtaining poppy straw without extraction of opium. The cultivators whose fields are selected for such use shall be eligible for licence for the next crop year, if otherwise eligible.

(iv) The quantity of opium tendered by a farmer will be calculated at 70° consistency, on the basis of analysis by the Government Opium and Alkaloid Works, Neemuch and Ghazipur.

(v) Notwithstanding anything stated above, opium cultivation will not be allowed in any village where the number of eligible cultivators is 5 or less. However in respect of such villages, wherever possible, the affected cultivators will be given an option to shift to such neighbouring village where opium cultivation is permitted.

[F. No. 616/1/2006-Narcotics Control-I]

ROHTASH SINGH, Under Secy.

3133GI/06

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.